

## सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी में हिन्दी के बढ़ते कदम

प्रो० वीरेन्द्र सिंह यादव,

प्रोफेसर—हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,  
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

### शोध सारांश

आज हिन्दी को विश्व मंच पर ले जाने में आधुनिक संचार माध्यमों तथा प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान है। औद्योगिक उत्पादकों के बढ़ते हुए बाजार का भाषा से सीधे सम्बन्ध है। भाषा ही वाणिज्य की सबसे प्रमुख कड़ी है। अलग-अलग देशों में जनता तक उत्पाद को पहुँचाने के लिये उनकी भाषा को जानना बहुत आवश्यक है। विज्ञापनों द्वारा ही सभी उत्पादों की बिक्री होती है। यहाँ विश्व में सबसे अधिक प्रयोग करने वाली हिन्दी भाषा में विज्ञापन करने से ही बहुसंख्या तक उत्पादों को पहुँचाया जा सकता है। विश्व के अनेक देशों में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन तथा मुद्रण होता है। सम्पूर्ण संसार में लोग हिन्दी भाषा में अन्तर्जाल तथा मोबाइल द्वारा संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय बात है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी भाषा को टंकण माध्यम बनाने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास सहायक सिद्ध हुआ है।

**बीज शब्द** — विश्व, सूचना संचार, प्रौद्योगिकी, हिन्दी, अभिव्यक्ति का माध्यम।

हिन्दी भाषा भारत के मस्तक पर लगी बिन्दी के समान है तथा इसको और समृद्ध एवम जन-मानस की भाषा बनाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयोगों का ही परिणाम है कि हिन्दी आज न केवल भारत में बल्कि संसार के अनेक देशों में प्रसारित होने बोली भाषा हो रही है। अब तो हमारी हिन्दी भाषा के अनेकों शब्द अंग्रेजी के अन्तरराष्ट्रीय शब्द कोश में भी स्थान पा चुके हैं। हिन्दी अन्तरराष्ट्रीय जन मानस की भाषा बनती जा रही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि न केवल हमारे देश में हिन्दी दिवस मनाया जाता है बल्कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज विश्व स्तर पर हमारे देश की साख बढ़ने लगी है जिसने कई देशों में हिन्दी को जानने व समझने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। विश्व के अनेक देशों में हिन्दी बोलने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। यह हिन्दी भाषा का ही बढ़ता

हुआ प्रभाव है जो आज अनेकों विश्व विख्यात कंपनिया भी हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं।

आज भारतीय जनमानस आधुनिककरण की प्रक्रिया के प्रभाव से प्रभावित है। नये ज्ञान-विज्ञान को अभिव्यक्ति देने की प्रक्रिया में किया जाने वाला भाषिक परिवर्तन ही भाषा का आधुनिकीकरण है। हिन्दी भाषा के प्रसार में साहित्य खेल या सिनेमा के अतिरिक्त नेता लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वर्तमान प्रधानमंत्री मा० श्री नरेन्द्र मोदी जी आदि गणमान्य व्यक्तियों ने विदेशों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिन्दी भाषा में अपना भाषाई समर्पण और विश्व का ध्यान हिन्दी की ओर आकर्षित भी किया है। आज हिन्दी बोलने वालों में विश्व में चीनी के बाद हिन्दी दूसरी बड़ी भाषा है। अमेरिका सहित विश्व के

अनेक राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन हो रहा है। "कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिन्दी के प्रोफेसर रोनॉल्ड स्टूर्ट मेक्ग्रेगर ने पश्चिमी दुनिया में हिन्दी को सर्वप्रिय बनाने में भूमिका निभायी। हिन्दी साहित्य की बहुत सी पांडुलिपियाँ ब्रिटिश म्यूजियम तथा इंडिया आफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है।"

अनुवादित कृतियों में भी हिन्दी ने प्रचार-प्रसार में योगदान दिया है। अनुवाद के माध्यम से दो भाषाओं के मध्य सम्पर्क स्थापित होता है तथा दो देशों या राज्यों की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। महाकवि तुलसीदास के रामचरित मानस का सफल रूसी अनुवाद वेरान्निकोव ने किया। "रूस में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के कार्य में सबसे बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिकों में वसीली बिस्क्रोप्नी, अलिक्सेय तथा अलेक डल्ट-सिफेरक आदि का नाम उल्लेखनीय है। अमेरिका में सन् 1975 ई० में हिन्दी भाषा का व्याकरण अमेरिकी निवासी सोमुल कैलोग ने हिन्दी का अनुशीलन करके तैयार किया। इसमें हिन्दी पत्रिकाएँ जैसे सौरभ, विश्वा और विश्वविवेक के नाम भी लिए जा सकते हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन दिया। कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हिन्दी का दो वर्ष का पाठ्यक्रम है। टोरंटो में हिन्दी का दो वर्ष का पाठ्यक्रम है। टोरंटो शहर के कुछ स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। अमेरिका के तीस विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा, इंटरमीडियट एवं प्रारंभिक स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाती है। मारिशस, फिजी, गयाना तथा सूरीनाम में कामकाज हिन्दी में होता है और बाजार में भी यह प्रचलित है। "फिजी के संविधान में संसद में हिन्दी के प्रयोग का भी प्रावधान किया गया है।

आज स्थिति यह है कि हिन्दी का काव्य साहित्य अपने वैविध्य एवं बहुस्तरीयता में संपूर्ण विश्व में सर्वोपरि है। रामचरितमानस, पद्यमावत

तथा कामायनी जैसे महाकाव्यों को हिन्दी भाषा में विदेशी विद्वानों द्वारा अनुवादित किया गया है। वर्तमान समय में हिन्दी कथा साहित्य भी रूसी, फ्रेंच आदि भाषाओं के बहुत निकट है। यह कहना भी आवश्यक है कि जयशंकर प्रसाद के अलावा हिन्दी के पास विश्वस्तरीय नाटककार नहीं हैं। इसकी कमी हिन्दी सिनेमा द्वारा भलीभाँति होती है। सिनेमा देश की संस्कृति और सभ्यता की अभिव्यक्ति का साधन होने पर हिन्दी को विश्व में प्रसिद्ध बनाने में योगदान दे रहा है। बहुत से हिन्दी धारावाहिक तथा फिल्में विदेशों में भी लोकप्रिय हुई हैं जैसे अभी हाल में शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' फिल्म भारत में तो क्या विदेशों में भी सराही गयी है। जिससे हिन्दी भाषा का विकास हुआ है। विदेशी लोग हिन्दी फिल्मी गीतों को इस तरह गुनगुनाते हैं जैसे वे हिन्दी भाषा के ज्ञाता हों, फिर भले ही उन गीतों के अर्थ वे न जानते हों। यह हिन्दी भाषा की सरलता ही है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है।

भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम होती है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक और दूसरे के विचारों को स्वयं तक जान एवं समझ सकता है। भाषा का प्रयोग लिखित और मौखिक दो रूपों में किया जाता है। लिखित रूप में भाषा प्रयोग करने वालों की तादाद निश्चय ही मौखिक या बोलचाल में प्रयोग करने वालों की अपेक्षा कम होती है। अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रसियन जैसी अनेक भाषायें हैं, जिनका प्रयोग किए जाने के मामले में दुनिया में दबदबा है। हिन्दी भी इन्हीं भाषाओं में से एक है, जिनका प्रयोग विस्तार रूप से दुनिया में हो रहा है। भाषा के प्रयोग के मामले में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा निश्चित आँकड़ा नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि किस भाषा का दुनिया में कौन सा स्थान है। पाश्चात्य विचारकों द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उनके अनुसार हिन्दी चौथे स्थान पर आती है। लेकिन ये आंकड़े जिस आधार पर प्राप्त किए गये हैं, किसी वैज्ञानिक फार्मूले पर

आधारित नहीं हैं। इन आंकड़ों में स्पेनिश को तीसरे स्थान पर दर्शाया जाता रहा है, जो कि बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं है। अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली और प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में शुमार है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। दुनिया का सर्वाधिक आबादी का देश चीन दूसरे स्थान पर आता है। आबादी और विस्तार की दृष्टि से अगर देखा जाये तो हिन्दी भाषी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो निश्चय ही इसके बाद हिन्दी का स्थान आता है। वरिष्ठ पत्रकार बालेन्द्र शर्मा 'दधीच' कहते हैं कि "मुझे याद आता है कि लगभग 15 साल पहले गूगल के तत्कालीन सीईओ एरिक शिम्ट ने कहा था कि आने वाले पाँच-दस वर्षों में इण्टरनेट पर जिन दो भाषाओं का प्रभुत्व होगा वे हैं— मंदारिन और हिन्दी। उनकी यह बात आज सत्य सिद्ध हो रही है।

भूमण्डलीकरण और सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने हिन्दी के विस्तार को एक नई दिशा दी है। समाचारों का परम्परागत माध्यम जो कि प्रिन्ट मीडिया के नाम से जाना जाता है ने इस आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया, जिसमें लोग यह अंदाजा लगाया करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से, प्रिन्ट मीडिया पर संकट गहरा जाएगा। पूरे भारत में देखा जाए तो आज हिन्दी अखबारों की संख्या और उसके पाठकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 'रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इण्डिया' की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 जो कि 15 दिसम्बर 2017 ई0 को जारी की गई, में बताया गया है कि पंजीकृत प्रकाशनों की सर्वाधिक संख्या हिन्दी में हैं। डिजिटल युग में निश्चय की इस रिपोर्ट का अपना बुनियादी महत्व है। इस रिपोर्ट के मुताबिक "पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 114820 है। किसी भी भारतीय भाषा में पंजीकृत प्रकाशनों की सर्वाधिक संख्या हिन्दी भाषा में है और यह संख्या 47827 है। जबकि हिन्दी के आलावा दूसरे स्थान पर आने वाली भाषा अंग्रेजी की है। इसके प्रकाशनों की संख्या 14365 है। 2016-17 के

दौरान 4007 नये प्रकाशनों का पंजीकरण किया गया जबकि 38 समाचार पत्र-पत्रिकाओं को बंद कर लिया गया। इनमें सर्वाधिक 46 संस्करणों में 4736785 प्रतियाँ 'दैनिक भास्कर' की हैं और दूसरे स्थान पर 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' का है।"

इसी तरह अगर हम हिन्दी फिल्मों पर दृष्टि डालें तो हिन्दी को विस्तार देने में इनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज अगर दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक और पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत तक तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों में हिन्दी की पहुँच बढ़ी है तो निश्चय ही इसमें हिन्दी फिल्म उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। एक समय था जब देवकी नन्दन खत्री के 'तिलिस्मी' उपन्यासों को पढ़ने के लिए दूसरी भाषाओं के लोग भी हिन्दी सीखने में लग गये थे। ठीक वही भूमिका आज हिन्दी फिल्मों की है। हिन्दी के प्रसिद्ध शायर और गीतकार गुलजार ने न्यूयार्क में आठवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में 15 जुलाई 2007 ई0को हिन्दी के प्रचार प्रसार में हिन्दी फिल्मों की भूमिका सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि—"हिन्दी के प्रचार-प्रसार में फिल्मों ने सहित्य अकादमियों और नेशनल बुक ट्रस्ट से ज्यादा योगदान दिया है। .....मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन उन्होंने फिल्म के माध्यम को समझने से इंकार कर दिया। उनका स्वाभिमान उनका अपना आत्म सम्मान था। वह लौट गए, फिर भी उनकी कहानियाँ फिल्म वालों ने अपनाई और उन पर फिल्में बनाईं। शैलेन्द्र ट्रेड यूनियन से जुड़े एक नेता थे, फिर उन्होंने इस माध्यम को समझा। हिन्दी वैश्वीकरण के दौर में लिंक जुबान बन गई है। हिन्दी फिल्मों की वजह से पूरे हिन्दुस्तान में हिन्दी संपर्क की भाषा मानी जाती है"।

'पिजन हिन्दी' ने भी हिन्दी का विस्तार किया है। हालांकि विद्वान इसे भाषा के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं हैं। लेकिन यह उचित नहीं है। अगर हम हिन्दी में देशज, जापानी,

चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की बंगला और अनेक भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर सकते हैं, तो पिजन हिन्दी को स्वीकार करने में गुरेज नहीं होना चाहिए। 'पिजन हिन्दी' उस हिन्दी को कहते हैं जो ऐसी मिश्रित बोली है, जिसे हम काम चालाऊँ के नाम से भी जान सकते हैं; जो मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों व्यापारियों द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में जाने के बाद प्रयुक्त की गयी। इसे बम्बइया, कलकतिया हिन्दी के नाम से भी अभिहित करते हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के श्रमिक मजदूर और व्यवसायों द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में विस्तार किये हिन्दी के योगदान को भी कम नहीं आँका जाना चाहिए। दक्खिनी हिन्दी को भी हम ऐसा ही स्वरूप मान सकते हैं।

“चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दिल्ली के सुल्तानों ने हरियाणा और कुरु प्रदेश के लोगों, व्यापारियों आदि को दौलताबाद और उसके आस-पास बसाया। धीरे-धीरे दक्षिण में पाँच स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए—गुलबर्गा, बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर और बरार। औरगंजेब ने इन राज्यों को नष्ट कर दिया। सन् 1723 ई० में हैदराबाद में पुनः स्वतंत्र निजाम राज्य की स्थापना हुई।.....वे लोग अपनी भाषा को हिन्दी या हिन्दवी कहते आ रहे हैं।

संस्कृत जो हिंदी का प्राचीन स्वरूप रहा है, उस पर उच्च वर्ण का आधिपत्य होने के कारण यह सामान्य वर्ग की कभी भाषा नहीं बन पाई। गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए पाली व प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें सातवीं व आठवीं शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड 30 मई सन् 1826 ई० में पंडित जुगल किशोर के संपादन

में निकला। सन् 1931 ई० में आलम आरा पहली बोलती फिल्म बनी। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। गोपाल चंद्र जी का नहुष हिन्दी का पहला मौलिक नाटक है। पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में खोला गया। कन्नौजी, बुंदेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, मगही आदि हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं।

जनसामान्य के बीच बोलचाल की भाषा होने के कारण हिन्दी ने संपर्क भाषा के रूप में देश को एकजुट किया व विभिन्न समाचार पत्रों व पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा। आजादी के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर सन् 1949 ई० में एक निर्णय पारित कर हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद हिंदी के विकास के लिए विभिन्न समितियाँ बनी जैसे केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति आदि। इन समितियों के माध्यम से हिंदी के उन्नयन के निर्धारित लक्ष्य तय किए जाते रहे। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के कारण यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 10 जनवरी सन् 1975 ई० को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ अतः यह दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नागपुर के पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद हिंदी का लगातार वैश्विक फलक बढ़ रहा है एवं प्रत्येक तीन वर्ष बाद होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन से वैश्विक स्तर पर हिंदी मजबूत होती गई। मारीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की 11 फरवरी सन् 2008 ई० से औपचारिक स्थापना हुई।

हिन्दी मनोरंजन के क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसरों जैसे बॉलीवुड, विज्ञापन, विभिन्न टी0वी0 चैनल्स, आदि के कार्यक्रमों में अनुवाद,

डबिंग एक्टिंग आदि के लिए युवा हिंदी की तरफ रुझान कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी का भविष्य बहुत सुखद व सुरक्षित है परंतु एक खतरा लिपि के रूप में दिखाई दे रहा है रोमन लिपि के माध्यम से हिंदी भाषा को पढ़े जाने की बढ़ती प्रवृत्ति से देवनागरी लिपि को समझने वालों की संख्या कम होती दिखाई दे रही है जिसका समाधान ढूँढना आज समय की माँग है। हिंदी में भाषा व्याकरण साहित्य कला संगीत सभी के माध्यमों में वैश्विक स्तर पर अपनी उपयोगिता व प्रासंगिकता सिद्ध की है लेकिन हिंदी समाज का एक तबका आज अपने ही देश में हिंदी की दुर्गति व हिंदी के प्रति हीन भावना की प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। यह मानने की प्रवृत्ति की अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा प्रतिभाशाली व बुद्धिजीवी होते हैं, इस धारणा ने हिंदी भाषियों में हीन भावना को जन्म दिया है। इस भावना से उबरना आज बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि मातृभाषा में ही मौलिक विचार आते हैं। मौलिक विचार उसी भाषा में आते हैं जो व्यक्ति अपने जन्म के बाद आस पास के पर्यावरण में सीखता है, उसमें सांस लेता है, जीता है। जिस भाषा में व्यक्ति का समाजीकरण नहीं होता, उसमें मौलिक विचार कभी आ ही नहीं सकते। हिंदी किसी भाषा से कमजोर नहीं है, बस जरूरत है अपना आत्मविश्वास मजबूत करने की। हम जिस भाषा के सामने अपने को हीन मानते हैं हमें यह ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी में मात्र दस हजार मूल शब्द हैं, वहीं हिंदी में मूल शब्दों की संख्या 250000 से भी अधिक है एवं विश्व के सभी विकसित देश हिंदी भाषा के महत्व को देखते हुए अपने अपने स्तर पर इसके प्रचार-प्रसार में योगदान दे रहे हैं। आज जब विश्व में हर छठा व्यक्ति हिंदी भाषा में बोल रहा है। विकसित देश हिंदी के अध्ययन को प्राथमिकता दे रहे हैं ऐसी स्थिति में स्वयं के देश में उचित स्थान न मिलना एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा में हिंदी का ना होना दुखद है। आज आवश्यकता

इस बात की है कि अपने देश में उचित स्थान के साथ साथ सरकार वैश्विक स्तर पर भी हिंदी प्रेमी देशों के सहयोग से व राजनीतिक रणनीति के माध्यम से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में न्याय पूर्ण स्थान के साथ प्रतिस्थापित करें।

कम्प्यूटर में हिन्दी प्रयोग की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नॉलॉजी विकास नामक परियोजना के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के सहारे हिन्दी शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से होने की संभावना बढ़ गई है। वर्तमान स्थिति में वेबसाइट पर हिन्दी इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश उपलब्ध हैं। इसी तरह अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में पारस्परिक अनुवाद प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी भाषा का प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कई विदेशी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर हिन्दी भाषा को स्थान दिया है। विदेशी भाषाओं की फिल्में हिन्दी में डब की जा रही हैं। आज टेक्नॉलॉजी की भाषा को आम आदमी के नजदीक पहुँचाने की आवश्यकता बढ़ गई है। हिन्दी में भी कम्प्यूटर शब्दावली के निर्माण में हमें मार्केट और प्रयोक्ता को ध्यान में रखना होगा।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में पारदर्शी शासन व्यवस्था का होना उसकी सफलता की निशानी होती है। देश के समस्त नागरिकों को शासन-प्रशासन व्यवस्था की समस्त जानकारी उन्ही की भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। उन्हें सरकारी विभागों में बन्द फाइलों से सूचना प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सच्चे अर्थों में कहा जाये तो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण आधार तब मिला जब 15 जून 2005 ई0 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। सूचना अधिकार का अर्थ है- हमारे कानूनों, अधिकारों और व्यवस्था से जुड़ी कोई भी

जानकारी देश की आम जनता को सुलभ या उपलब्ध करायी जाये।

सूचना के अधिकार के लागू हो जाने से सरकारी दफ्तरों में उपलब्ध आवश्यक जानकारी तक तो जनता पहुँच ही गयी, साथ ही इससे लाल फीताशाही, तथा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा। और शासन-प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। इस अधिनियम के लागू हो जाने से प्रशासन देश की जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बन गया। प्रशासन तथा जनता के बीच की दूरी कम हुई तथा अब जनता भी प्रशासनिक निर्णयों से अवगत होने लगी। इतना ही नहीं, अब जनता की प्रशासन में भागीदारी तो बढ़ी ही साथ ही प्रशासन की बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सकारात्मक आलोचना के नये मार्ग भी खुले।

अपने अठारह वर्षों के लम्बे सफर के दौरान इस अधिनियम को न केवल प्रशासनिक स्तर पर, वरन् भाषा के क्षेत्र में भी अनेक उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। जैसे कि- नौकरशाही में अभिलेखों में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी इतनी कठिन होती है कि आम नागरिक का उसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। जिसके चलते आज तक सूचना अधिकार अधिनियम का व्यावहारिक व पूर्ण अनुपालन नहीं हो पा रहा है। अब तक के अनुभवों से यह स्पष्ट हो चुका है कि भाषा की व्यावहारिकता से ही इसे सफल बनाया जा सकता है न कि मात्र वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कर देने से। सूचना अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में देखें तो यह प्रश्न हमारे सामने हर बार खड़ा हो जाता है कि प्रशासन की भाषा ऐसी क्यों है जो स्वयं को आम नागरिक से जोड़ने में असमर्थ प्रतीत हो रही है। प्रशासनिक शब्दावली, क्लिष्ट शब्द जो लिखने, पढ़ने एवं समझने, तीनों ही ढंग से निराले हैं। दोहरे अर्थों वाले शब्द, आदि। इसके कई कारण भी हो सकते हैं- जैसे कि- 1. सरकारी दफ्तरों व कार्यालयों में बातचीत में तो हिन्दी का प्रयोग

परन्तु कार्य अंग्रेजी में। कार्यालयों में राजभाषा विशेषज्ञ सम्बन्धी पदों का अभाव। राजभाषा हिन्दी को सहज रूप से विकसित करने में सहयोग करने वाले अनुवादकों का अभाव। कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने की असुविधाजनक स्थिति आदि। इन सभी चुनौतियों के बावजूद कई सारी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो हिन्दी के प्रभाव व प्रयोग को दिनोदिन बढ़ावा भी दे रही हैं- जैसे- कुछ आधुनिक तकनीकी संचार माध्यमों से हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के नये मार्ग खुले हैं। हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ आसानी से इंटरनेट के माध्यम से अधिकाधिक प्रयोग में लायी जा रही हैं। इसकी वजह से कम्प्यूटर एवं स्मार्ट मोबाइल में भी हिन्दी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। इस नये दौर में हिन्दी को स्वयं में स्थापित करने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। इसे हम हिन्दी की प्रगति एवं विकास का नया युग भी कह सकते हैं। हमें 'हिंगलिश' को भी तिस्कार नहीं, वरन् नये अवसर के रूप में स्वीकार करना होगा। इससे निःसन्देह ही कई सारी समस्याएँ स्वतः सुलझ जायेंगी।

वर्तमान युग सूचना और संचार क्रान्ति का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी ने सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र में बाँधने में महात्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः इस परिस्थिति में तो यह और भी आवश्यक हो गया है कि लोग वास्तविकता को जाने और सम्बन्धित मामले में अपना पक्ष रखें। जब तक सूचना जनता को अपनी भाषा में प्राप्त नहीं हो जाती है, न तो वे इसे ठीक से समझ सकते हैं और न ही लाभ ले सकते हैं। तभी तो आज हर सरकारी कार्यालय में समस्त कार्य हिन्दी में किये जाने पर जो दिया जा रहा है। जो कि समय व परिस्थिति की आवश्यकता भी है। सत्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब यह सत्य छुपाने य उसे दबाने का प्रयास किया जाता है तो उस देश की शाख खतरे में पड़ जाती है। इस परिस्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने

पर सूचना सभी के सामने उजागर की जाये, वो भी उनकी अपनी भाषा में तभी तो आम जनता उस उपलब्ध जानकारी से स्वयं को जोड़ पायेगी। और उसका प्रयोग लोक कल्याण के लिए हो पायेगा।

आज मानव के पास अनेक तकनीक और पर्याप्त साधन भी मौजूद हैं, जो भाषा के इस भेदभाव को कॉफी हद तक समाप्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि जब हम कम्प्यूटर या मोबाइल से सूचना हिन्दी में मांगेंगे ही नहीं तो वह कैसे जानकारी हमको हिन्दी में उपलब्ध करायेगा। जब कि सबसे महात्वपूर्ण बात यह है कि आज के दौर में प्रचलित हिंग्लिस में इस समस्या का समाधान ही स्वतः ही खोज लिया है। जो शब्द अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं के हैं। और आम बोल चाल में बहुतायत प्रयोग होते हैं। हम उन्हें हिन्दी के साथ वैसे ही स्वीकर कर लें तो इससे जाहँ हिन्दी में शब्दों की समृद्धता बढ़ेगी तो वहीं दूसरी ओर दसका प्रचलन भी और अधिक बढ़ता जयेगा। वास्तविक तौर पर देखा जाये तो भाषा का प्रवाह तो नदी के धारा के समान होना चाहिए, जो तंग अवरोधों के बीच में भी कहीं रुकती नहीं है। तथा अपना मार्ग स्वतः खोज लेती है। तभी तो वह जन सामान्य के हृदय को सिंचित करने योग्य बन पाती है।

वास्तविक तौर पर देखा जाये तो यह चुनौती हिन्दी प्रेमियों के सामने भी है और वर्तमान सरकार के सामने भी। यदि प्रशासनिक व्यवस्था और भाषा या सीधे तौर पर कहें तो—प्रशासनिक भाषा और आम जन भाषा साथ मिलकर चलें तो अधिक से अधिक सरकारी काम—काज हिन्दी में होने लगेंगे। और हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में सरकारी निजी दफ्तरों सहित भारत ही नहीं बरन् पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो पायेगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भाषा किसी भी समस्या को जन्म दे, या स्वयं में ही प्रश्न बन

जाये, हमारी भाषा चाहे जो भी हो, उसकी सार्थकता तो इसी में है कि एक सीधे—सहज तरीके से अपनी बात रखे और दूसरा उसे समझ ले। भाषा विचारों, भावनाओं को प्रेषित करने का माध्यम है, साधन है। सीधे शब्दों में कहें तो—“भाषा की सार्थकता तभी है जब वो किसी समस्या का समाधान कर सके, न कि स्वयं में प्रश्न। और वही भाषा वही लिपि सर्वश्रेष्ठ है जो सहज सम्वाद स्थापित करने में समक्ष हो।

## सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल— हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली—110002, सं० 2015 ई०।
2. मोहम्मद डॉ० मलिक — राजभाषा हिन्दी, प्रवीण प्रकाशन, महरौली, नई दिल्ली—1100030, सं० 1993 ई०।
3. आजकल, जनवरी—2016(प्रवासी भारतीय समाज, भाषा, साहित्य और संस्कृति—विमलेशकान्ति शर्मा)
4. प्रसाद जयशंकर — चन्द्रगुप्त, चतुर्थ अंक, दृश्य छह, संजय बुक सेन्टर गोलघर वाराणसी, सं० 1989ई०
5. मोहम्मद डॉ० मलिक — राजभाषा हिन्दी, प्रवीण प्रकाशन, महरौली, नई दिल्ली—1100030, सं० 1993 ई०।
6. बाहरी डॉ० हरदेव — हिन्दी भाषा, संस्करण 1994ई०, अभिव्यक्ति प्रकाशन, 847, विश्वविद्यालय मार्ग, इलाहाबाद
7. बाहरी डॉ० हरदेव — शिक्षार्थी हिन्दी शब्दकोश, परिशिष्ट 1, राजपाल ऐण्ड सन्स, कश्मीरी गेट दिल्ली, सं० 1994ई०
8. 8. भूटानी डॉ० सुनील, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी, सहचर, ई पत्रिका, अक्टूबर 2017

9. सर्राफ रमेश, हीन भावना कैसी? हिंदी तो विश्व भाषा बन रही है। प्रभासाक्षी, सितंबर 2016
10. सत्याग्रह ब्यूरो, 10 अगस्त 2018 प्रमोद भार्गव,
11. रचना (पत्रिका) मई जून 2018 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,भोपाल (म.प्र.)
12. एन. वेंकटेश्वर, संपादक, दक्षिण में हिन्दी प्रचार आन्दोलन का इतिहास, ऑफसेट डिविजन, 1994